कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 1683 /14–10 दिनांक:अलीगढ़,नवम्बर 21 , 2017

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
एटा।

विषयः– **एटा जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–91 किमी0 186.000 से 229.000 तक 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 65.495 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्षों एवं 858 पौधों कुल 5798 वृक्षों/पौधों के पातन/क्षति की अनुमति के सम्बन्ध में।**

संदर्भ– आप पत्रांक 1004/14–1 दिनांक 21.11.2017

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा आपने के कम में एटा जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–91 किमी0 186.000 से 229.000 तक 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्ताव 05 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव का अवलोकन करने पर निम्नलिखित कमियां पायी गयी।

1. पार्ट–2 के बिन्दु संख्या 4(।) में क्षेत्रफल 64.495 हे0 अंकित किया गया है जबकि प्रस्तावित क्षेत्रफल 65.495 हे0 है।

2. पार्ट–2 के बिन्दु संख्या 4(।) में वनस्पति का घनत्व दशलम के बाद दो अंको में 0.02 अंकित किया गया है जबकि वनस्पति का घनत्व दशलम के बाद एक अंक में अंकित किया जाना चाहिए।
3. पार्ट–2 के बिन्दु संख्या 5 पर "working plan prescription for the forest land proposed land for diversion" में No Data अंकित किया गया है जोकि अपूर्ण है।
4. पार्ट–2 के बिन्दु संख्या 7 पर " Approximate distance of propose site for diversion from boundry of forest (in km.)" में **0** अंकित किया गया है जोकि त्रुटिपूर्ण है।
5. Annexure II, IV, XIV, XXII, XXXI, XXXVII, XXXXIII पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।
6. प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 12 पर लगाये ऑफ लाइन पार्ट–। की आवश्यकता नहीं है जिसे प्रस्ताव से पृथक किया जाये।
7. Annexure IX में संरक्षित भूमि का क्षेत्र 99.328 है0 दर्शाया गया है जो त्रुटिपूर्ण है।
8. प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 68 पर एन0पी0वी0 की गणना निर्धारित दर पर नहीं की गयी है एवं वनस्पति का घनत्व शून्य दर्शाया गया है।
9. Annexure XV पर संलग्न एफ0आर0ए0 प्रमाण–पत्र पत्र संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं किया गया है।
10. प्रस्ताव में प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर दिनांक सहित नहीं है।
11. Annexure XXVII अपूर्ण है।
12. Annexure XXXIII , XXXIV की आवश्यकता नहीं है जिसे प्रस्ताव से पृथक किया जाये।
13. Annexure XXXVIII पर प्रभागीय निदेशक की मौहर नहीं लगी है।
14. वन स्वरूप के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।
15. लागत लाभ विश्लेषण के बिन्दु संख्या 5 में Project details अंकित नहीं है।

अतः विषयक प्रस्ताव मूल में 05 प्रतियों में इस निर्देश के साथ वापस किया जाता है कि आप उक्त आपत्तियों का निराकरण पूर्ण एवं संशोधित प्रस्ताव 04 प्रतियों में इस कार्यालय को दिनांक 21.11.2017 तक प्रत्येक दशा में प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि वृत्त स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करते हुए प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

20.11.17

(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

C.F. Office/Draftman/Land Transfer/com-ii

पत्रांक 1683 /14–1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, उ0प्र0, लखनऊ।

3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, 31 एवं 32, ड्रीम सिटी कॉलोनी (बाल जीवन घुट्टी के सामने), जी0टी0 रोड़, सारसौल, अलीगढ–202001

प्रस्ताव सहित प्राप्त किया
20/11/17
NHAI

20-11-17
(बी0 प्रभाकर)
वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

C.F. Office/Draftman/Land Transfer/com-ii